

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बड़जलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी

1. लादा पुत्र भीखला जाति सरगरा
2. शंकर पुत्र भीखला जाति सरगरा
- निवासीगण-आल्पा तह0 शिवगंज
- जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खीमा पुत्र खंगारा
2. मांगिया पुत्र खंगारा
3. भूरिया पुत्र खंगारा
- जातियान सरगडा, निवासी आल्पा
- तहसील शिवगंज
4. स्व. श्रीमती शांति पुत्री खंगारा, पत्नी
- मोहनलाल जी जाति सरगडा, निवासी
- नोवी, तहसील सुमेरपुर जिला पाली के
- कायम मुकाम वारिसान
- 4/1 दिनेश कुमार पुत्र मोहनलालजी जाति
- सरगडा निवासी नोवी तह0 सुमेरपुर
- 4/2 छगनलाल पुत्र मोहनलालजी जाति
- सरगडा निवासी नोवी तह0 सुमेरपुर
- 4/3 गोपाल पुत्र मोहनलाल जी जाति
- सरगडा निवासी नोवी
- 4/4 मंजु देवी पत्नी मोहनलाल जी जाति
- सरगडा निवासी बीजापुर तह. बाली
- 4/5 रिकु पुत्री मोहनलाल जी जाति
- सरगडा निवासी नोवी
- 4/6 ममता पुत्री मोहनलाल जी जाति
- सरगडा निवासी नोवी
5. चुनी पुत्री खंगारा पत्नी भूराराम जी
- जाति सरगडा निवासी- पालडीजोड
6. धनी पुत्री खंगारा पत्नी पवाराम जी
- जाति सरगडा निवासी पोसालिया
7. पानी पुत्री खंगारा पत्नी मसाराम जी
- जाति सरगडा निवासी रूखाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,
- शिवगंज
- विद्वान अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

नवीन राजस्व वाद सं0- 07/2023

पूर्व प्रकरण सं0 -24/2015

दिनांक 28.08.2024

--::निर्णय::--

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक/कोर्ट/2024/400 दिनांक 10.07.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पत्राक/रीडर/2024/465 दिनांक 05.08.2024 से वादग्रस्त भूमि मौजा आल्पा पटवार हल्का आल्पा के तहसील शिवगंज के खसरा नं0 16, 19/2, 21/2, 21/3, 21/4 व 21/5 रकबा क्रमशः 42.14, 5.16, 0.14, 0.05, 0.03, व 0.05 बीघा कुल कित्ता 6 कुल रकबा 50-00 बीघा अर्थात् 8.09 हेक्टर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका प्रतिवादी अधिवक्ता ने अवलोकन कर बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति पेश की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिव हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(शकुंतला चौधरी)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

शिवगंज

दिनांक 28.08.2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 495

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

तहसीलदार, शिवगंज।



सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

शिवगंज